न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 52/2017

गुरवीरसिंह पुत्र जसकरणसिंह जाति रामगढिया निवासी 12 टी.के. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थी

बनाम

1. हरदीपसिंह
2. हरबंशसिंह
3. राजसिंह

पिसरान जगतारसिंह जाति रामगढिया निवासी 9 टी.के. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

4. महेन्द्रसिंह
5. नायबसिंह

पिसरान जगतसिंह जाति रामगढिया निवासी थराजवाला तहसील मिदडवाहा पंजाब।

6. बाबूसिंह
7. राजेन्द्रसिंह

पिसरान सन्तासिंह जाति रामगढिया निवासी 9टी.के.ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

8. गुरसेवकसिंह
9. मिल्खसिंह

पिसरान साधुसिंह जाति रामगढिया निवासी 9टी.के.ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

10. दर्शनसिंह पुत्र जंगीरसिंह जाति रामगढिया निवासी 9टी.के.ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

11. गुरचरणसिंह पुत्र केहरसिंह जाति रामगढिया निवासी अम्बेडकर नगर, गली नम्बर 09 बीकानेर।

12. मलसिंह पुत्र केहरसिंह जाति रामगढिया निवासी अम्बेडकर नगर, गली न. 09 बीकानेर।

13. कुलवंतसिंह
14. जसवंतसिंह

जाति रामगढिया निवासी 12 टी.के. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

15. जसपाल कौर पत्नी जसकरणसिंह जाति रामगढिया निवासी 12 टी.के. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

16. हरभजनसिंह पुत्र जसकरणसिंह जाति रामगढिया निवासी 12 टी.के. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

18/6/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

17. जगवीरसिंह पुत्र जसकरणसिंह जाति रामगढिया निवासी 12 टी.के. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर। ——रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्त. अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर दिनांक 28.03.2017

उपस्थिति:–

श्री नरेन्द्र भादू अभिभाषक अपीलार्थी
श्री रविन्द्र बिश्नोई अभिभाषक रेस्पो. सं. 13 व 14

निर्णय दिनांक 18.06.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/वादीगण ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष पेश किया जिसके साथ राज. काश्त.अधि. की धारा 212 का प्रा.पत्र प्रार्थीगण के परिवार की वंशावली दर्शाते हुए पेश कर प्रा.पत्र की मद सं. 9 में वर्णित भूमि को रहन, बैय न करने के सम्बन्ध में वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी सं. 13 व 14 ने जवाब प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि पक्षकारों के मध्य पूर्व में वाद निर्णित व डिक्री हो चुका है। यह वाद रेसज्युडीकेटा के सिद्धांत लागू होता है। इसलिए वाद व प्रा.पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा वाद में सभी आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाया। इसलिए भी वाद चलने योग्य नहीं होने से वाद खारिज योग्य है। इसी आधार पर प्रा.पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जावे।

अधी. न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 28.03.2017 को प्रार्थीगण का प्रा.पत्र खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से प्रा.पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण का हर प्रकार से मामला बनता था। यदि वाद के निर्णय तक भूमि का हस्तांतरण हो जाता है तो अनावश्यक रूप से विवाद बढने की सम्भावना रहेगी एवं प्रार्थीगण के

18/6/18
राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

वाद का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए प्रार्थीगण का प्रा.पत्र स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में जवाब प्रा.पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पूर्व में इन्हीं पक्षकारों के मध्य वाद का निर्णय हो चुका है। इसलिए यह वाद एवं प्रा.पत्र चलने योग्य नहीं था। इसके अलावा विवादित भूमि रेस्पों. की संयुक्त खाते की होकर रेस्पों. रिकार्डेड खातेदार है जिनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के निर्णय दिनांक 28.03.2017 के विरूद्ध पेश की गई है जिसमें अपीलांट के अलावा अन्य प्रार्थीगण का प्रा.पत्र अन्तर्गत राज.काश्त.अधि. 1955 की धारा 212 खारिज किया गया है जबकि विवादित आराजी अगर हस्तांतरित हो जाती है तो Multification of litigation होगा जिसे रोकने के लिए अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित आराजी रेस्पों. की संयुक्त खाते की होकर रेस्पों. रिकार्डेड खातेदार है तथा अपीलांट का विवादित भूमि में नाम नहीं है। अतः अधी. न्यायालय द्वारा रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने के मत से सहमत होकर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर